

फर्द अहकाम

गोपी

बनाम रामजीलाल

नाम न्यायालय
केस संख्या

73/2018

द्वारा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	01-10-20	<p>वार एनोसिटेशन द्वारा व्यापिक कार्य स्थगित रखा गया। गत आदेश की पालना में दिनांक 05-11-20 को पेश की</p>
	05-11-20	<p>वकुलाप उपा। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) पार्टी व प्रतिवादीगण द्वारा एक एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि इनमे आपस के राजीनामा हो गया है। अतः काद फर को जारी नहीं पलागं कहते हैं। अतः दावा खारिज किया जाये। उक्त प्रार्थना पत्र व पत्रावली का भवभाव किया गया। अतः प्रार्थना पत्रों को गयी अतः पार्टी वादीगण राजीनामा के आधार पर खारिज किया जाये। पत्रावली के संदर्भ शुभा उपा। नम्बर से करी निर्णय सुले भापालप में हुआ गया।</p>

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)